


राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना" (scheme for shelter for urban homeless-SUH) के अन्तर्गत नगरीय निकायों से प्राप्त आश्रय निर्माण/उच्चीकरण (अपग्रेडेशन) के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या- 833/69-1-14 -14(104)/2013 दिनांक 23 मई 2014 के द्वारा गठित "राज्य परियोजना स्वीकृति समिति" की दिनांक 30.06.2015 को सूडा सभागार में अपराहन 12:00 बजे आयोजित "आठवीं" बैठक का कार्यवृत्त

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना हेतु उल्लिखित शासनादेश के माध्यम से गठित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30.06.2015 को आयोजित हुई, जिसमें समिति के सदस्यों और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन/सूडा कार्यदायी संस्था एवं नगरीय निकाय के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, निदेशक, सूडा, उ०प्र०।
2. श्री लाल प्रताप सिंह, वित्त नियंत्रक, सूडा, उ०प्र०।
3. श्री कृपा शंकर शुक्ला, अनुसचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. श्रीमती अजन्ता देवी, सीनियर रिसर्च आफिसर, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
5. श्री आर०के० श्रीवास्तव, डीजीएम हडको, लखनऊ।
6. श्री अरुण कुमार राना, ए०जी०एम० हडको, लखनऊ।
7. श्री हरि राम, मुख्य अभियन्ता, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ।
8. श्री राम नरेश, अपर साख्खी अधिकारी, स्थानीय निकाय निदेशालय।
9. श्री ए०के० पुरवार, महाप्रबन्धक सीएण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
10. श्री पदमाकर ओझा, परियोजना प्रबन्धक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
11. श्री मृत्युंजन, उपनगर आयुक्त, मेरठ।
12. श्री ए०के० पाण्डेय, सहायक अभियन्ता, डूडा-रामपुर।
13. श्री वकील वर्मा, परियोजना अधिकारी, डूडा-रामपुर।
14. श्री एस०एम० तारिक, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, रामपुर।
15. श्री आर० पी० सिंह, परियोजना अधिकारी, डूडा-मेरठ।
16. श्री मो० लैयब, परामर्शी, सूडा, लखनऊ।
17. श्री कमल कुमार सिंह, परामर्शी, सूडा, लखनऊ।
18. श्री वी०एन० त्रिपाठी, सहायक परियोजना अधिकारी, सूडा, उ०प्र०।
19. श्री के० एन० शुक्ला, लिपिक, सूडा।

2. एजेन्डा बिन्दु संख्या-1
परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक में सर्वप्रथम मिशन निदेशक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) एवं निदेशक सूडा द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक "शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (Scheme for shelter for urban homeless-SUH)" के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। उक्त के साथ यह भी अवगत कराया गया कि "शहरी बेघरों के लिए आश्रय" योजना के सम्बन्ध में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका सं०-55/2003 एवं 572/2003 ई०आर० कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में सघन समीक्षा की जा रही है। प्रकरण में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा त्वरित गति से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में कड़े निर्देश दिये गये हैं, जिसके दृष्टिगत इस योजना पर विशेष ध्यान देते हुए तेजी से कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है, ताकि मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का ससमय अनुपालन हो सके तथा शहरी बेघरों को आधार भूत सुविधाओं सहित आश्रय उपलब्ध कराया जा सके। मिशन निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण के माननीय







उच्चतम न्यायालय द्वारा निरन्तर समीक्षा किये जाने के दृष्टिकोण आवश्यक है कि कार्यवाही संस्था द्वारा निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य तेजी से पूर्ण किया जाये।

एजेन्डा बिन्दु संख्या-2

3. कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2984/241/NULM/तीन/2001(SUH) दिनांक- 26.11.2014 के द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजनान्तर्गत जनपदों/शहरों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के अप्रैजल हेतु गठित "एप्रैजल समिति" द्वारा परीक्षणोपरान्त राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष विचार विमर्श एवं स्वीकृति हेतु निम्नांकित प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:-


(घनराशि रू० लाख में)

क्र. सं.	शहर का नाम	प्रस्तावित शेल्टर होम का प्रकार	प्रस्तावित शहरी बेघरों की संख्या	प्रस्तावित निर्माण लागत	परीक्षणोपरान्त स्वीकृति निर्माण लागत	निर्माणोपरान्त प्रस्तावित संचालन व्यवस्था लागत 5 वर्षों हेतु	प्रस्तावित कुल लागत	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	रामपुर	नया निवास	100	237.99	255.11	60.00	315.11	

3.1 रामपुर

- 3.1.1 रामपुर से 70 शहरी बेघरों के आश्रय का प्रस्ताव दिगत माह 12.03.15 को आयोजित राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्रस्तावित स्थल के भवनों की अत्यन्त जर्जर स्थिति को देखते हुए तकनीकी दृष्टिकोण से परीक्षणोपरान्त दोनों सामुदायिक केन्द्रों को ढहाकर उक्त स्थल पर 100 शहरी बेघरों हेतु नये शेल्टर निर्माण का प्रस्ताव प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे, जिसके अनुपालन में जिला नगरीय विकास अभिकरण, डूडा रामपुर के पत्र सं० डूडा/शेल्टर हाउस/47-2015-16 दिनांक 08.05.15 के अनुक्रम में 04 सदस्यीय टीम जिसमें अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया। तकनीकी रूप से इस भवन को ढहाकर इसके स्थान पर नया फ्रेम स्ट्रक्चर भवन बनाने की संस्तुति की गयी है। इस संस्तुति के क्रम में जिलाधिकारी रामपुर के पत्र सं०- 113/एन०यू०एल०एम०/डूडा/2015-16 दिनांक 19.06.2015 द्वारा 100 शहरी बेघरों हेतु आश्रय स्थल (शेल्टर हाउस) का प्रारम्भिक आगणन रू० 297.99 लाख का प्रस्तुत किया गया है, जिसका परीक्षणोपरान्त प्रारम्भिक आगणन 315.11 लाख आंकलित की गयी, जिसमें निर्माण लागत रू० 255.11 लाख एवं पांच वर्षों के संचालन व्यवस्था हेतु रू० 60.00 लाख है। इस प्रकार वर्तमान में पूर्व जर्जर भवन को ढहाने के उपरान्त प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण से 100 शहरी बेघर लाभान्वित होंगे, जो कि पूर्व प्रस्तावित शहरी बेघरों की संख्या से लाभान्वित होने वाले 30 शहरी बेघर अधिक होंगे।

- 3.1.2 रामपुर के प्रस्तावित आश्रय निर्माण के सम्बन्ध में निकाय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि रामपुर में वर्तमान में कोई भी शेल्टर होम नहीं है जबकि काफी संख्या में श्रमिक रिक्षा चालक आदि को आश्रय की आवश्यकता पड़ती है। रामपुर निकाय की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या 3.25 लाख है। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 72 मलीन बस्तियां है, जिसमें काफी संख्या में शहरी बेघर भी निवास करते हैं।





- 3.1.3 अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम परमियां खां मुहल्ले में मुमताज पार्क के पास पूर्व निर्मित दो सामुदायिक केन्द्र जो अत्यन्त जर्जर स्थिति में था को ढहाकर पुनः शेल्टर होम का निर्माण प्रस्तावित है।
- 3.1.4 प्रस्तुतीकरण में अवगत कराया गया कि विगत बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में दोनों जर्जर सामुदायिक भवनों का तकनीकी निरीक्षण डूडा रामपुर के पत्र सं० डूडा/शेल्टर हाउस/47-2015-16 दिनांक 08.05.15 के अनुक्रम में 04 सदस्यीय टीम जिसमें अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा कराया गया, जिसकी आख्या निम्नवत है:-
 "वर्तमान में सामुदायिक केन्द्र का भवन एक मंजिला है, जिसकी दीवार एवं फाउण्डेशन उत्ती के अनुरूप डिजाइन की गयी है। सामुदायिक केन्द्र भवन की दीवारें भी कई स्थानों पर बैठ गयी हैं, जिससे दीवारों में क्रैक आ गया है तथा उक्त भवन का भूकम्परोधी मानकों के अनुरूप निर्माण नहीं हुआ है। भूकम्प की विभीषिका को दृष्टिगत रखते हुए शेल्टर हाउस (G+3) भवन को फ्रेम स्ट्रक्चर के रूप में ही बनाया जाना है। वर्तमान भवन पर अतिरिक्त तल का निर्माण सुरक्षा की दृष्टि से नहीं हो सकता। अतः वर्तमान भवन के स्थान पर नये फ्रेम स्ट्रक्चर भवन का बनाया जाना एक मात्र विकल्प है।"
- 3.1.5 रामपुर के प्रगतिशील नगर होने के कारण दिनों दिन शहरी बेघरों की संख्या बढ़ रही है। रामपुर में मौलाना जौहर विश्वविद्यालय होने के कारण काफी संख्या में देश के विभिन्न भागों से लोगों का शहर में आना जाना रहता है।
- 3.1.6 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित शेल्टर होम बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन से 07 किमी० की दूरी पर निर्मित किया जाना है। स्वार प्राइवेट बस अड्डा से दूरी 02 किमी०, तहसील से 01 किमी०, जिला कारागार से 150 मी० की दूरी पर शेल्टर होम का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित स्थल से सभी स्थानों हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध है।
- 3.1.7 प्रस्तावित शेल्टर होम में बेडिंग, पेयजल, बिजली, किचन, शौचालय मनोरंजन हेतु कॉमन रूम, फस्ट एड बॉक्स आदि की सुविधायें एवं सेवायें योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं।
- 3.1.8 निकाय प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि क्षतिग्रस्त जर्जर भवन को उपरोक्त तकनीकी आधार पर ढहा दिया गया है।
- 3.1.9 परीक्षण समिति द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्ताव में योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रति शहरी बेघर हेतु क्षेत्रफल का मानक पूर्ण है। प्राप्त इस्टीमेट पी०डब्ल्यू०डी० दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरों के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।
- 3.1.10 शहरी बेघरों के आश्रय हेतु प्राप्त उक्त प्रस्ताव में तकनीकी (Estimate) प्रावलन लेआउट एवं निर्मित की जाने वाली भौतिक सुविधाओं एवं सेवाओं एवं डिजाइन का संक्षिप्त में उल्लेख किया गया है।
- 3.1.11 उक्त प्रेषित डी०पी०आर० में योजना के योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार सुचारु रूप से सामान्य आवश्यकता आंकलन का विवरण, शहर प्रोफाइल, संचालन रणनीति एवं व्यवस्था, आश्रय में रखे जाने वाले अभिलेखों का विवरण, आश्रय में रहने वालों हेतु नियमावली

आश्रय का लोकेशन विद इन्टाइटेलमेन्ट्स तथा संचालन एवं प्रबंधन व्यवस्था, आश्रय हेतु शेल्टर प्रबंधन समिति के गठन आदि का भी उल्लेख है।

3.1.12 प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल के आवंटन एवं शेल्टर होम के 5 वर्षों उपरान्त नगरीय निकाय द्वारा अपने संसाधनों से संचालन किये जाने के संबंध में अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में उल्लिखित है कि मोहल्ला घेर मियां खां में (निकट मुमताज पार्क) सामुदायिक केन्द्र स्थापित है। उक्त सामुदायिक केन्द्र को एन0यू0एल0एम0 योजना के उपघटक शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजना के अन्तर्गत शेल्टर हाउस/रैन बसेरा के निर्माण के पांच साल बाद उसका रखरखाव/संचालन नगर पालिका परिषद रामपुर द्वारा किया जायेगा। वर्तमान सामुदायिक केन्द्र को प्रस्तावित शेल्टर हाउस/रैन बसेरा के रूप में निर्माण कराये जाने पर नगर पालिका परिषद रामपुर को कोई आपत्ति नहीं है।

3.1.13 प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ्स प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

3.1.14 राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगर पालिका परिषद रामपुर से प्राप्त 01 नये शेल्टर होम के निर्माण, एवं 5 वर्षों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी:-

(क). निर्माण कार्य हेतु निर्माण लागत धनराशि रु0*255.11 लाख योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार तीन किश्तों (40%, 40% एवं 20%) में अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति इस आधार पर की जाती है कि प्रथम किश्त अवमुक्त के 15 दिवसों के अन्दर निर्माण की समय सारणी एवं विस्तृत कार्य योजना वार चार्ट सहित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई के माध्यम से राज्य शहरी आजीविका मिशन, सूडा उ0प्र0 को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। द्वितीय किश्त संतोषजनक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के साथ ही 70% उपभोग की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर अवमुक्त की जायेगी।

(ख). संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण होकर हस्तगत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त अवमुक्त किया जायेगा।

(ग). शेल्टर होम निर्माण कार्य पूर्ण होने से पूर्व नगर निकाय/शहर मिशन प्रबंधन इकाई को उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आश्रय हेतु शेल्टर प्रबंधन समिति का गठन कर उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए विवरण तत्काल राज्य मिशन प्रबंधन इकाई, सूडा को उपलब्ध कराना होगा। उक्त के साथ ही प्रस्ताव में निर्मित किये जाने वाले आश्रय भवन में उपलब्ध करायी जाने वाली भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने के विवरण एवं संचालन व्यवस्था आदि का दिशा निर्देशों के अनुसार विस्तृत विवरण के साथ ही संचालन व्यवस्था हेतु प्रस्तावित धनराशि के विवरण पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराया जाना अपरिहार्य होगा जिसके उपरान्त ही संचालन व्यवस्था हेतु धनराशि अवमुक्त किया जायेगा।

उक्त शर्तों के अनुपालन किये जाने की शर्त के साथ राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा रामपुर निकाय हेतु 100 शहरी बेघरों हेतु शेल्टर निर्माण के प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचार कर स्वीकृति प्रदान की गयी।

✓ L. Q. B.

✓

एजेन्डा बिन्दु संख्या-3 अन्य बिन्दु-


एजेन्डा बिन्दु संख्या-3 अन्य बिन्दु में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेन्डा निर्गत होने के उपरान्त विगत 19.12.2014 को राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आयोजित बैठक के कार्यवृत्त संख्या-3753/241/NULM/तीन/2001 SUH दिनांक- 05.01.15 द्वारा खुर्जा-बुलन्दशहर हेतु 50 शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजनान्तर्गत "खुर्जा में पूर्व स्वीकृति आश्रय निर्माण स्थल (999 वर्गमीटर) के स्थान पर समान आकार के नये स्थल 1000 वर्गमीटर पर आश्रय निर्माण की स्वीकृति देने का प्रस्ताव राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराया गया कि नगर निकाय खुर्जा जनपद बुलन्दशहर हेतु विगत में राज्य परियोजना स्वीकृति समिति के बैठक कार्यवृत्त संख्या 3753/241/NULM/तीन/2001 SUH दिनांक 05.01.2015 के द्वारा 50 शहरी बेघरों हेतु रु० 217.25 लाख स्वीकृत की गई थी, परन्तु स्थानीय जनता के विरोध के दृष्टिगत निर्माण कार्य प्रारम्भ न हो पाने के कारण पुनः सर्वेक्षण की सूचना उपजिलाधिकारी खुर्जा के पत्र संख्या 2248 दिनांक 25 जून 2015 के माध्यम से अपर जिलाधिकारी प्रशासन/परियोजना निदेशक डूडा बुलन्दशहर को देते हुए अवगत कराया गया है कि "शहरी बेघरों के लिए आश्रय गृह निर्माण हेतु कच्चा खुर्जा (बाहर चुंगी) के गाटा संख्या 1069 को प्रस्तावित किया गया था किन्तु स्थानीय जनता के विरोध के दृष्टिगत कच्चा खुर्जा (अन्दर चुंगी) (जमींदारी क्षेत्र) का गाटा संख्या 1670/0.594 हेक्टेयर व 1671/0.11 हेक्टेरो अभिलेखों में पुरानी तहसील (राजस्व विभाग) के नाम से अंकित भूमि प्रश्नगत योजना हेतु उप्युक्त पायी गयी है जो शहर के मध्य में है, कोतवाली खुर्जा के सामने है। उक्त गाटा संख्या में से 1000 वर्गमीटर भूमि का प्रस्ताव शहरी बेघरों के लिए आश्रय निर्माण हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है"। पत्र के साथ नक्शा नजरी भी उपलब्ध कराया गया है।

उक्त के आलोक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/परियोजना निदेशक डूडा बुलन्दशहर द्वारा पत्र संख्या 134/डूडा-खुर्जा-आ०गु०/2015-16 दिनांक 26.06.2015 द्वारा उल्लिखित अभिलेखों को प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया गया है कि पूर्व में उपलब्ध करायी गयी भूमि के स्थान पर वर्तमान में उपलब्ध करायी गयी भूमि पर आश्रय गृह निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाय।

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा आपसी विचार विमर्श उपरान्त नगरीय निकाय खुर्जा-बुलन्दशहर से समान आकार के स्थल एवं परियोजना प्रबंधक सी०एम्ड डी०एस० के पत्र सं०- 1283/कार्य-218/10 दिनांक 26.06.2015 के द्वारा "भूमि का स्वरूप समान होने के फलस्वरूप परियोजना की निर्माण लागत एवं डिजाइन में भी कोई परिवर्तन आने की सम्भावना नहीं होने एवं उक्त भूमि आश्रय गृह निर्माण हेतु उप्युक्त है" के लिखित आश्वासन के साथ सी०एम्ड डी०एस० प्रतिनिधि द्वारा सहमत व्यक्त किये जाने के दृष्टिगत स्थल परिवर्तन पर राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा सन्मक विचारोपरान्त स्वीकृत प्रदान की गयी।









6 आवश्यक निर्देश

राज्य परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा शहर/नगरीय निकायों द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित निर्देश सभी निकायों को दिये गये:-


- 6.1 प्रकरण के मा० उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या 55/2003 एवं 572/2003 ई०आर० कुमार व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में की जा रही सधन समीक्षा के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए गुणवत्ता आधारित निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
- 6.2 कार्यदायी संस्था को निर्धारित समय सीमा में अनुपातिक आधार पर गुणवत्ता आधारित कार्य कराते हुए अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा। शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/निकाय को कार्यदायी संस्था से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्काल नियमानुसार निर्धारित प्रारूपों में सी०पी०ओ०/ई०ओ०/नगर आयुक्त/पीडी/डीएम के माध्यम से राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई- सूडा उ०प्र० को उपलब्ध कराना होगा।
- 6.3 शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्राप्त होने 15 दिवसों में आगामी किरत के अवमुक्त की कार्यवाही करना आवश्यक होगा ताकि समय से धनराशि अवमुक्त करके निर्धारित समय में कार्य पूर्ण कराया जा सके।
- 6.4 निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई को उल्लिखित निर्देशों की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में निर्धारित समय सीमा में राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा उ०प्र० को उपलब्ध कराना अपरिहार्य है।
- 6.5 आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि हडको द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में निर्देशित किया गया कि निर्माण कार्य की विस्तृत समयसारणी एवं वार चार्ट कार्यदायी संस्था सी०एण्ड डी०एस्० द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जाय।
- 6.6 निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य के साथ-साथ निर्मित किये जाने वाले आश्रय एवं प्रस्तावित भौतिक सुविधाओं के हस्तगत किये जाने की कार्यवाही का विवरण तैयार कर तत्काल अनुपालन स्वरूप राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई सूडा, उ०प्र० को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6.7 स्वीकृत परियोजना का संक्षिप्त चार्ट इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न किया जा रहा है।
- 6.8 निर्देश दिये गये कि शहरी बेघरों हेतु स्वीकृत परियोजना का अनुमोदन शहर स्तर पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित कार्यकारी समिति से अवश्य करा लिया जाये।
- 6.9 प्रस्तावित शेल्टर होम के निर्माण के प्लान/नक्शों का नियमानुसार सम्बन्धित निकाय/प्राधिकरण आदि से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
- 6.10 निर्माण कार्य स्वीकृतानुसार पूर्ण कराये जाने हेतु निकाय/शहर मिशन प्रबन्धन इकाई एवं कार्यदायी संस्था के मध्य नियमानुसार अनुबन्ध की कार्यवाही करते हुए तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 6.11 परियोजनान्तर्गत किसी भी प्रकार की मूल्यवृद्धि देय नहीं होगी।
- 6.12 निर्मित किये जाने वाले शेल्टर होम में सभी सुविधायें एवं सेवाएं गाइडलाइन के अनुसार सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा साथ ही समय-समय पर मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य होगा।





- 6.13 निर्देश दिये गये कि प्राप्ता इस्टीमेट पी0डब्लू0डी0 दर अनुसूची (एस.ओ.आर.), (डी.एस.आर.) एवं नॉन शेड्यूल्ड आइटम में बाजार दरो के आधार पर गठित किया गया है, जिसमें वित्तीय नियमों का पालन कार्यदायी संस्था द्वारा किया जाना अपरिहार्य होगा।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार


(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

राज्य शहरी आजीविका मिशन (सूडा)

नवचेतना केन्द्र, लखनऊ

पत्रांक— 1409/241/NDLM/AM/50th/2001

दिनांक— 05/17/15

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. श्री बी0के0 अग्रवाल, संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. निजी सचिव, सचिव नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, सचिव नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
8. राज्य मिशन निदेशक, एस0यू0एल0एम0, सूडा उ0प्र0।
9. निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
10. क्षेत्रीय प्रमुख हडको, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य शहरी आजीविका मिशन एस0यू0एल0एम0 को उक्त के आलोक में नियमानुसार धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही हेतु।
12. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, सूडा— रामपुर, बुलन्दशहर।
13. अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
14. संयुक्त निदेशक, सूडा, लखनऊ।
15. परियोजना निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
16. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद— रामपुर एवं खुर्जा—बुलन्दशहर।
17. सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर/शहर मिशन प्रबंधन इकाई— रामपुर एवं खुर्जा—बुलन्दशहर।
18. परियोजना अधिकारी, सूडा— रामपुर एवं खुर्जा—बुलन्दशहर।
19. सहायक वेबमास्टर को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

Annexure I
To the Minutes of 8th State Project Sanction Committee meeting dated 30-06-2015 of Shelter for Urban Homeless under NULM.

S. No	Name of the City/ULB	SUH Project Description	Project Construction time	Tentative Construction on startup - date	Total Project Cost	Central Share (75% of project cost)	State share (25% of project cost)	1 st Installment (40% Project cost CS& SS)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rampur	A. Implementation of SUH Project under NULM at Rampur Construction of New Shelter Home (G+3) with the capacity of 100 person for all type of Homeless (men, women, families, disabled and sick) including the facilities of bedding, space for storing belongings for homeless persons, light, common kitchen, bathroom and toilets as well as space for counselling facilities for medical assistance fire fighting equipment and infrastructure work in the proposed premises etc including centage, labour cess as per norms. B. Operation & maintenance of shelter home @ Rs 12.00 lac per year for 5 year.	9 Month	Aug-15	255.11	191.33	63.78	102.04
		Total (A+B)			60.00	45.00	15.00	4.80 (40% of Rs 12.00 lac) annual shall be released after receiving of completion certificate of construction work of shelter home.
					315.11	236.33	78.78	102.04